

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(137)/VS/2019/Power/3644

Dated:- 28-11-2019

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Starred Question No.34

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Starred Question No.34 for 03.12.2019 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above


(J.S.RANA)

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय

तारांकित प्रश्न संख्या:-34


दिनांक:-03.12.2019

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री पवन कुमार शर्मा

क्या माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र 0 सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या दीवारों पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु टीपीडीडीएल में फॉर्म जमा कराने के लिए कोई समयावधि निश्चित की गई है;	बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि दीवारों पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु उपभोक्ता सहमति फार्म अपने स्थानीय विधायक के पास जमा कराते हैं तथा स्थानीय विधायक अपने सहमति पत्र के साथ उपरोक्त फार्म को संबंधित बिजली वितरण कम्पनियों में जमा कराते हैं। सहमति पत्र जमा कराने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।
ख)	यदि हाँ, तो इसकी अंतिम तिथि क्या है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ग)	क्या स्ट्रीट लाइट लगाने की ऐसी ही कोई योजना झुग्गी बस्तियों के लिए भी सरकार के विचाराधीन है;	जी हाँ, शहरी विकास विभाग में मुख्यमंत्री सड़क पुर्ननिर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में सभी जगहों पर जहाँ पर डार्क स्पॉट्स हो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना का अनुमोदन किया है जो कि सभी अनधिकृत कॉलोनी, नियमित अनधिकृत कॉलोनी, गाँवों, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, मार्केट्स और अन्य जगहों में लगायी जाएगी। यह कार्य मुख्यमंत्री सड़क पुर्ननिर्माण योजना के तहत दिनांक 26.09.2019 के परिपत्र द्वारा एक अतिरिक्त कार्य के रूप में शामिल किया गया है। उपरोक्त अतिरिक्त कार्य के एस.ओ. पी. को बनाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
घ)	यदि हाँ, तो उसका संपूर्ण विवरण; और	
ड)	क्या उन खम्भों पर एलईडी लाइटें लगाए जाने का कोई प्रावधान है जहाँ या तो लाइटें हैं ही नहीं या अपेक्षाकृत कम प्रकाश देने वाली सोडियम लाइट लगी हैं?	निगम अधिकृत क्षेत्र में वे खम्भें जिन पर लाइटें नहीं है वहाँ आवश्यकतानुसार फंड की व्यवस्था होने पर लाइटें लगाई जाती है तथा पुरानी/अपेक्षाकृत कम प्रकाश देने वाली लाइटों को निगम अधिकृत क्षेत्रों में अधिकांशतः नई एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदल दिया गया है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।



(जे.एस.राणा)
उप-सचिव (उर्जा)

J. S. RANA
Deputy Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi